[1][नियम 10क : बैंक खाते के ब्यौरों का दिया जाना

सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी आरईजी–06** में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उपलब्ध करवाए जाने और माल और सेवा कर पहचान संख्या समनुदेशित किए जाने के पश्चात् ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न जिसे, यथास्थिति, नियम 12 या नियम 16 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, [2][रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की तारीख से तीस दिन की अवधि की भीतर, या प्ररुप जीएसटीआर–1 में धारा 37 के अधीन मालों या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने या बीजक प्रस्तुत करने की प्रसुविधा का उपयोग करने से पहले, जो भी पूर्वत्तर हो सामान्य पोर्टल पर बैंक खाते के ब्यौरे के संबंध में सूचना प्रस्तुत करेगा]।

[3][**परन्तु** स्वत्वधारी समुत्थान की दशा में, स्वत्वधारी की स्थायी खाता संख्या स्वत्वधारी की आधार संख्या से भी जुड़ी हुई हो।]

---

1 अधिसूचना क्रमांक 31/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा नियम 10क अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.06.2019)।

2 अधिसूचना क्रमांक 38/2023–केन्द्रीय कर, दिनांक 04.08.2023 द्वारा प्रतिस्थापित। (प्रभावशील दिनांक 04.08.2023)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

''किसी अन्य उपबंध के अनुपालन में सामान्य पोर्टल पर, यथाशक्य, शीघ्र किन्तु रजिस्ट्रीकरण दिए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन के अपश्चात् या उस तारीख को, जिसको धारा 39 के अधीन विवरणी का दिया जाना अपेक्षित है, इनमें से जो भी पूर्वतर हों, बैंक खाते के ब्यौरे [A][जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के नाम से हो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की स्थायी खाता संख्या पर प्राप्त किया गया है] के संबंध में जानकारी या कोई अन्य ऐसी जानकारी देगा, जिसकी अपेक्षा की जाए, देगा।''

A अधिसूचना क्रमांक 35/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2021 द्वारा अंतःस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

3 अधिसूचना क्रमांक 35/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 24.09.2021 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।